छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शनिवार, दिनांक 14 फरवरी, 2009

(माघ - 25, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की ओर आसंदी का ध्यान आकृष्ट किया।

माननीय अध्यक्ष ने इस तरह की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की तथा इस संबंध में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

1. सभापति तालिका

माननीय अध्यक्ष द्वारा डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया।

2. वर्ष 2009-2010 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

माननीय आदिम जाति विकास मंत्री के विभागों की मांगों और कटौती प्रस्तावों पर श्री रामदयाल उइके, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री (डॉ.) सुभाऊ कश्यप, नंदकुमार पटेल, संतोष बाफना,

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, रामजी भारती, लखमा कवासी, भीमा मंडावी, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री दयालदास बघेल, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, ह्दय राम राठिया, ब्रह्मानंद नेताम, शिवराज सिंह उसारे, श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, श्री लेखराम साहू, श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, सर्वश्री कुलदीप सिंह जुनेजा, श्री बैदूराम कश्यप, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, दूजराम बौद्ध, जगेश्वर राम भगत।

श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

3. बहिर्गमन

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन की पत्रकार दीर्घा में प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति का उल्लेख करते हुए शासन द्वारा कार्यवाही नहीं होने के विरोध में बहिर्गमन किया गया।

4. वर्ष 2009-2010 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 39, ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या 56, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 50, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 60 प्रस्तुत की।

प्रतिपक्ष के बहिर्गमन के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

5. व्यवस्था

प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में वित्तीय कार्य संपादित करना उचित नहीं।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आज सदन में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन करने के कारण सदन में पूर्व निर्धारित कार्य को संपादित करने लिए उपस्थित नहीं है।

मैं समझता हूं कि वित्तीय कार्य महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें प्रतिपक्ष रहे तो शासन को सुझाव प्राप्त होते हैं।

प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में वित्तीय कार्य संपादित करना मैं उचित नहीं समझता।

सायं 4.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 16 फरवरी, 2009 (माघ 27, शक संवत् 1930) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा